# GOVT. OF N.C.T. OF DELHI: DIRECTORATE OF EDUCATION ESTABLISHMENT-IV BRANCH: ROOM NO.11-B, OLD SECTT. DELHI-54

F.No.:DE/ TGT (CS)/E-IV/2011/555 - 575 Dated: 3/2/14

# **CIRCULAR**

Recruitment Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science) under the Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi have been made & duly notified in Delhi Gazette Extraordinary Part IV, Issue No. 68 vide No. F.No. D.E. TGT(CS)/E-IV/2011/504 dated 25-04-2013 (copy enclosed).

This issue/with the prior approval of the competent authority.

ASSTT. DIRECTOR OF EDUCATION (E-IV)

F.No.:DE/ TGT (CS)/E-IV/2011/555-575

Dated:-3/2/14

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

- 1. Under Secretary (UPSC), Dholpur House, Shahajahan Road, New Delhi-69
- O.S.D. to Lt, Governor Delhi, Raj Niwas, Delhi.
- 3. Pr. Secretary (Finance), GNCT of Delhi.
- 4. Secretary (Law, Justice & L.A.), GNCT of Delhi.
- Joint Secretary, Ministry of Human Resources Development, Department of Elementry Education & Literacy, Shastri Bhavan, New Delhi-110001.
- Dy. Secretary, National Council for Teachers Education, Wing-II, Hans Bhavan, Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi-110002 for information.
- Member Secretary, Rehabiliation Council of India, B-22, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016.
- 8. Chairman (DSSSB), FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi-92.
- Director (Education), New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi.
- 10. Chief Cantonment Officer, Delhi Cantonment Board, New Delhi-110010.
- Director (Primary Education), Municipal Corporation of Delhi, Old Hindu College Building, Kashmere Gate, Delhi.
- Joint Secretary (Services), Services Department (Branch-IV), Govt. of NCT of Delhi, 7<sup>th</sup> Level, Delhi Sectt., I.P.Estate, New Delhi-2.
- Secretary, (SCERT), Varun Marg, Defence Colony, New Delhi-110024.
- SPD (UEE Mission-SSA), Dte. of Education, GNCT of Delhi, 1<sup>st</sup> Floor, Distt. North, Lucknow Road, Delhi-54.
- 15. All Regional Directors of Dte. of Education.
- 16. DDE(IEDC), Lajpat Nagar, N. Delhi.
- 17. Dy. Directors of all Districts, Dte. of Education.
- 18. DCA, Dte. of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 19. A.D.E. (E-II/E-III/PFC/School/ACT), Dte. of Education, GNCT of Delhi.
- P.S. to Pr. Secretary (Education)/Director(Education)/Addl. D.E. (Admn.), Dte. of Education, GNCT of Delhi.
- 21. O.S. (IT) for uploading copy of RRs at the website of Directorate of Education.

ASSTT. DIRECTOR OF EDUCATION (E-IV)



#### असाधारण

# EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 68] No. 68] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2013/वैशाख 5, 1935

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 18

DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2013/VAISAKHA 5, 1935

N.C.T.D. No. 18

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## शिक्षा निदेशालय

## अधिसूचना

## दिल्ली, 25 अप्रैल 2013

सं0फा0 डी.ई.टीजीटी (सीएस)/ई0-IV/2011/504- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना संख्या फा. 26(49)/59-आर एंड एस के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिक्षा निदेषालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) के पद की भर्ती पद्वित विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(1) इन नियमों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2013 कहा जाएगा।
- ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि:—उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता:- ऐसा कोई भी व्यक्ति
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है. या

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को (किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में " प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)" के पद के भर्ती नियम :--

1.	पदनाम	:	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	:	2026 * (2013) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैण्ड – 2 (9300–34800 / – रुपये) (ग्रेड पे – 4600 / –रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आर्यु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं टीप 1:(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)
			टीप 2: — आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वहीं होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमांचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल अनुप्रयोग (बीसीए) में स्नातक उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व		अनिवार्यः—  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग (बीसीए) में स्नातक उपाधि।

			(बशर्ते है कि सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान विषय अवश्य पढ़ा होना चाहिए) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई/बीटेक (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा किसी विषय में स्नातक तथा डीओईएसीसी, सूचना एवं संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का ए' स्तर का पाठ्यक्रम।  टीप 1:— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अमिलेखबद्ध
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है। , लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि क्रोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचार करने हेतु) 1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष
			<ol> <li>निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार         <ul> <li>सदस्य</li> </ul> </li> </ol>
			<ol> <li>अतिरिक्त सचिव (योजना) – सदस्य</li> <li>अतिरिक्त निदेशक ्शिक्षा (प्रशासन) – सदस्य</li> </ol>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवयक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> डॉ० मघु तवेतिया अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

## DIRECTORATE OF EDUCATION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 25th April 2013

- F. No. D.E. TGT(CS)/E-IV/2011/504—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F. 27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, and insuper session of this Government's Notification No.F. 26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, Namely:—
  - Short title and commencement. (1) These rules may be called the Directorate of Education, Trained Graduate Teachers (Computer Science) Recruitment Rules, 2013.
    - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
  - Number of posts, classification and scale of pay. The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule annexed to these rules.
  - 3 Method of recruitment, age-limit, qualification etc.- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
  - Disqualifications. No person--
    - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
    - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science) under the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
1.	2.	3.	4.	5.
Trained Graduate Teacher (Computer Science)	2026 (2013)* Subject to the variation depending on workload	GCS Group 'B' Non-Gazetted, Non Ministerial	PB-2 (Rs.9300- 34800) (Grade Pay Rs.4600/-).	N.A.

ons prescribed if it recruits will in case of its	eriod of robation, any
- 9	
	2 Years.

recruitment, by promotion direct recruitment absorption by promotion grade or by deputation/	otion/deputation/ ption,	a DPC exists, with the property of the propert	vhat is its	Circumstances which UPSC is be consulted making recruitm	in
10. 11.	12			13.	
By direct Not as recruitment.	1.5	oup 'B' DPO  nsidering confirmat  Secretary(Education  ICT of Delhi-Chaire  Director of E	ion):-	Consultation UPSC necessary.	with not

1659 DG/13-2

Member		
3Additional	6. G	
Secretary(Pla	nning)-Member	
4. Addition	al Director of	W 12
 Education(Ad	lmn)- Member	
f 8		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DR. MADHU TEOTIA, IAS Addl. Secy. (Education)